

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

ऑनलाईन आवेदन करने के लिए विद्यालयों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं:-

1. सभी विद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के ऑनलाईन फार्म भरने उपरान्त उसकी हार्ड कॉपी निकालते हुए परीक्षार्थियों के विवरणों का मूल रिकार्ड से मिलान कर लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।
2. एस0सी0/बी0सी0 श्रेणी के नियमित परीक्षार्थी इस वर्ष से पहले बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट हो चुके हैं, परन्तु उत्तीर्ण नहीं हुए और उन्होंने अब पुनः विद्यालय में प्रवेश लेते हुए बोर्ड की पूर्ण विषयों की परीक्षा हेतु आवेदन करना है तो उसे Old Candidate की श्रेणी में माना जायेगा और उनको किसी प्रकार की परीक्षा शुल्क में छूट नहीं है।
3. परीक्षार्थियों का फोटो आवेदन फार्म में सम्बन्धित विद्यालय की वर्दी में लगाया जायेगा अन्यथा शिक्षा विभाग, हरियाणा के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन परीक्षार्थियों का नाम विद्यालय से आवेदन पत्र भरने से पूर्व कट चुका है ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र न भरे जायें। जिन परीक्षार्थियों की दैनिक उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और जिनका नाम विद्यालय से काट दिया गया है, उसकी सूचना परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व कारण दर्शाते हुए अनुक्रमांक स्लिप विद्यालय द्वारा बोर्ड कार्यालय में वापिस भेज दी जाये।
5. जो परीक्षार्थी एस0सी0/बी0सी0 श्रेणी में हैं और राजकीय विद्यालयों/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं तो उनका परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाना।
6. आवेदन-पत्र शुल्क जमा करने से पूर्व सभी छात्र/छात्राओं के विवरण विद्यालय रिकार्ड से जांच लिये जायें।
7. विद्यालय द्वारा माइग्रेशन शुल्क एवं प्रायोगिक विषय का शुल्क सभी परीक्षार्थियों का भरा जाना है। किसी भी कैटेगरी के परीक्षार्थियों को छूट नहीं है।

संस्था के मुखिया द्वारा निम्न बिन्दुओं की पालना और कार्रवाई की जानी है:-

1. मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी परीक्षार्थियों के निजी विवरण दाखिला खारिज रजिस्टर आदि से जांच लिए हैं तथा ये विद्यालय रिकार्ड अनुसार सही है। प्रत्येक विद्यार्थी के जो विवरण भरे गये हैं वे अभिभावकों से पुष्टि करवाकर भरे गये हैं।
2. सभी परीक्षार्थी जिनके आवेदन भरे गये हैं उनकी वर्तमान में दैनिक उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक है।
3. परीक्षार्थी किसी भी परीक्षा में किसी बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किये गये हैं।
4. सभी परीक्षार्थियों द्वारा पिछली कक्षा (सैकण्डरी कक्षा के आवेदन हेतु नौवीं कक्षा एवं सीनियर सैकण्डरी कक्षा के आवेदन हेतु ग्यारहवीं कक्षा) उत्तीर्ण की है तथा सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्रविष्ट होने के पात्र हैं।
5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन उसी संकाय अनुसार भरे गये हैं जिसकी स्वीकृति शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा दी गई है।
6. कुल परीक्षार्थियों के विवरण ऑनलाईन आवेदन के द्वारा भरे गये हैं तथा किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन फार्म लम्बित नहीं है।
7. परीक्षार्थियों द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं तथा फोटो भी परीक्षार्थी की है।
8. एस0सी0/बी0सी0 श्रेणी में होने के कारण जिनका परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया गया ऐसे परीक्षार्थियों का प्रमाण-पत्र विद्यालय द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।
9. गरीबी रियायत श्रेणी में होने के कारण जिन परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया गया। ऐसे परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों का प्रमाण-पत्र विद्यालय द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।
10. विद्यालय द्वारा सभी जानकारी जो भरी गई है वे पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई निहित जानकारी उपलब्ध करवाने में देरी होती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ।

सार्वजनिक सूचना

भिवानी () दिनांक 08.10.2018 से विद्यालयी/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र होंगे ऑनलाईन लाईव!

सैकण्डरी/सी0सैकण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च-2019 के लिए विद्यालयी/स्वयंपाठी/कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय/अंक सुधार के ऑनलाईन आवेदन-पत्र दिनांक 08.10.2018 से बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर लाईव किये जा रहे हैं।

इस आशय की जानकारी देते हुए डॉ० जगबीर सिंह, अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सैकण्डरी/सी0सैकण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च-2019 के लिए ऑनलाईन आवेदन की तिथियाँ व शुल्क निम्न प्रकार है:-

बिना विलम्ब शुल्क आवेदन करने की तिथि:- 08.10.2018 से 07.11.2018 तक

100/-रुपये विलम्ब शुल्क सहित :- 08.11.2018 से 12.11.2018 तक

300/-रुपये विलम्ब शुल्क सहित:- 13.11.2018 से 17.11.2018 तक

1000/-रुपये विलम्ब शुल्क सहित:- 18.11. 2018 से 22.11.2018 तक

सैकण्डरी परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 550+50 माईग्रेशन शुल्क कुल = 600/- व 100/-रुपये का अतिरिक्त शुल्क प्रायोगिक विषय/विषयों के लिए एक मुश्त सभी श्रेणी के परीक्षार्थियों से लिया जाना है चाहे परीक्षार्थी Exempted Category का है।

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए 700/-रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाना है।

सी0 सैकण्डरी परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 700+50 माईग्रेशन शुल्क कुल = 750/- व 100/-रुपये का अतिरिक्त शुल्क प्रायोगिक विषय/विषयों के लिए एक मुश्त सभी श्रेणी के परीक्षार्थियों से लिया जाना है चाहे परीक्षार्थी Exempted Category का है। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालयी परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय लेता है तो उसे परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 200/-रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। **स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए 700/-रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाना है।**

सैकण्डरी कक्षा हेतु ऑनलाईन शुल्क एच0डी0एफ0सी0 बैंक एवं सी0 सैकण्डरी कक्षा हेतु ऑनलाईन शुल्क आई0डी0बी0आई0 व आई0सी0आई0सी0आई0 बैंकों के माध्यम से लिया जाना है। प्रायोगिक विषय का शुल्क सभी श्रेणी के परीक्षार्थियों से लिया जाना है। पंजीकरण के समय नियमित परीक्षार्थियों द्वारा जो विषय अतिरिक्त विषय के रूप में लिया गया है उसको बाद में मुख्य विषय के रूप में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त डॉ० जगबीर सिंह, अध्यक्ष ने विस्तृत रूप से यह भी बताया गया कि जो परीक्षार्थी मार्च-2018 की परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हुए थे व उनका परीक्षा परिणाम Not Qualified घोषित हुआ, ऐसे परीक्षार्थी स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में सभी विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं। सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी के ऐसे परीक्षार्थी जिन द्वारा अन्य राज्य से आकर हरियाणा राज्य के विद्यालयों में प्रवेश लिया है तथा एनरोलमेंट हेतु आवेदन कर दिया है या किया जाना है ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भी साथ-साथ भरे जाने हैं। ऑनलाईन पंजीकरण के लिए शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर लॉगिन करें। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश विद्यालय की लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध है। पंजीकरण की उक्त तिथियों से अभिप्राय सफल पंजीकरण के साथ-साथ निर्धारित शुल्क का बोर्ड के द्वारा चयनित बैंक खातों में जमा होना है। पंजीकरण केवल ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा होगा। परीक्षा शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के द्वारा ही जमा करवाया जा सकेगा। सभी विद्यालय मुखिया यह सुनिश्चित करें कि उन द्वारा जिन परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन भरे गये हैं उनके विवरण रिकार्ड अनुसार भरे हैं एवं भलीभांति जाँच लिये गये हैं। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो विद्यालय मुखिया स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अध्यक्ष